... एवं प्रत्यर्थीगण की तलबी कराकर पत्रावली आइन्दा दिनांक 17/09/24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (फा...)
मुण्डावर (खैरथल-ति...)

30/8/24 — आज यह पत्रावली वादी वकील के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से तलब होकर पेश हुई। वादी वकील द्वारा निवेदन किया कि उक्त वाद Not Press में रखवाना चाहता है। वादी का वाद Not Press में रखे जाने का निवेदन किया। अतः वादी का वाद Not Press में रखा जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार हो कर रिकार्ड में जमा हो। बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30/8/24 को मेरे द्वारा लिखवाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– सोहन राम चौधरी (R.A.S.)

| दावा सख्या | रजू दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 259/2016 | 03.11.2016 | 16.12.2016 |

उनवान

1. धर्मपाल पुत्र तेजाराम जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा, तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0)

–: वादी

बनाम

1. उदयसिंह दाताराम
2. ओमप्रकाश पुत्र दाताराम
3. शक्ति सिंह पुत्र दाताराम समस्त जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलां, तहसील मुण्डावर जिला अलवर
4. डीगराम पुत्र नरसिंह
5. श्रीराम पुत्र सेढूराम
6. जगमाल पुत्र सेढूराम समस्त जाति अहीर निवासी भोजपुरी, तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0)
7. राज0 सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, मुण्डावर जिला अलवर (राज0)
8. सुमन पुत्र बजरंग
9. धर्मवीर पुत्र बजरंग
10. सन्तरा देवी पत्नी बजरंग
11. हरिश चन्द पुत्र तेजराम समस्त जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलां, तहसील मुण्डावर जिला अलवर(राज0)

–: असल प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

–::निर्णय::–

दिनांक :– 16.12.2016

## (1). वादी का वाद रहा कि:–

1. वाके ग्राम भोजपुरी तहसील मुण्डावर स्थित भूमि खसरा नम्बर 306 रकबा 1.01 है0, 307 रकबा 0.34 है0 भूमि में वादी व तर0 प्रतिवादी 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 01 लगा0 03 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 04 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0 05, 06 का 1/4 हिस्सा की खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है व मौके पर अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। वादी व प्रतिवादीगण ने बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा अपने अपने हिस्से अनुसार कब्जा करके काश्त कर रखी है। विवादित आराजी ख0नं0 306 में प्रतिवादी सं0 01 लगा0 03 का 1/4 भाग कब्जेकाश्त की है। प्रतिवादी सं0 01 लगा0 03 उक्त ख0नं0 306 के उत्तरी हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। उक्त भाग वादी के ख0नं0 307 की उत्तरी डोल से लगता हुआ है। ख0नं0 307 का उत्तरी भाग तिकुना है प्रतिवादी के तिकुने हिस्से को दबाना चाहता है और ख0नं0 303 सरकारी आराजी में कब्जा करने की फिराक में व वादी के हिस्से को दबाकर ख0नं0 306 से ख0नं0 303 तक सीधी डाल बनाना चाहता है। इसलिए प्रतिवादी सं0 01 लगा0 03 वादी के ख0नं0 307 की उत्तरी डोल को बार–बार मिसमार करता रहता है एवं ख0नं0 307 के दक्षिण में ख0नं0 308 नगर विकास न्यास भूमि है उस पर भी

16/12/16
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी सं0 01 लगा0 03 ने कब्जा कर रखा है। इसलिए वादी के ख0नं0 307 की दक्षिणी डोल को भी मिसमार करता रहता है।

2. विवादित भूमि में प्रतिवादी सं0 01 लगा0 03 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 04 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0 05, 06 का 1/4 हिस्सा है। लेकिन इनकी नियत में बेईमानी आने के कारण वादी का हिस्सा भी जबरन लठ्ठ के जोर से हड़पना चाहते है। जिसका उन्हे कानुनी अधिकार नहीं है।

3. वादी व प्रतिवादीगण का खाता सामलाती रहने से कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। ऋण आदि लेने में असुविधा होती है। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को खाता विभाजन करवाने के लिए कहा तो इन्कार हो गए। इसलिए वादी को राजस्व रिकॉर्ड का तकासमा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस कराने की अधिकारी है। इसलिए यह दावा न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है।

4. यह कि वाद वर्णित भूमि वाके ग्राम भोजपुरी में स्थित है जो न्यायालय श्रीमानजी की हदूद में है इसलिए यह दावा सुनवायी क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त है।

**वाद पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि —**

(क). यह है कि डिक्री तकासमा आराजी ख0नं0 306 रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम भोजपुरी तहसील मुण्डावर का बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स कराया जाने के आदेश फरमाए जावे।

(ख). यह है कि डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादीगण एवं तर0 प्रतिवादीगण जारी की जाकर प्रतिवादीगण असल को पाबंद किया जावे कि वे विवादित आराजी ख0नं0 306 में वादी एवं तर0 प्रतिवादी के हिस्से तक एवं ख0नं0 307 के सालिम भाग पर नाजायज प्रवेश ना करें एवं डोल को मिसमार ना करें एवं वादी एवं तर0 प्रतिवादी के काश्तकार्य में दखलनदाजी ना करें एवं दौराने दावा ख0नं0 307 की डोल मिसमार कर रकबा दबाया जाता है तो पैमाईस कर डोल कायम कराई जावे।

(2). दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गयी। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक तामील हुई। प्रतिवादी सं0 01 लगा0 03 की ओर से मदनलाल सांवरियां एडवोकेड उपस्थित हुए। प्रतिवादी सं0 07, 08 की ओर से श्री राकेश शर्मा एडवोकेट उपस्थित हुए। वादी की ओर से श्री रणवीर सिंह यादव एडवोकेट उपस्थित हुए।

**प्रतिवादी सं0 01 लगा0 03 की ओर से जवाब दावा रहा कि —**

1— यह है कि जिमन नं0 01 इतना स्वीकार है कि जिमन में वर्णित आराजी वाके ग्राम भोजपुरी तह0 मुण्डावर में स्थित है, बाकि जिमन गलत है।

2— यह है कि जिमन नं0 02 में हिस्सा बाबत दर्ज किया है, जो सही है, स्वीकार है।

3— यह है कि जिमन नं0 03 नितान्त गलत है स्वीकार नहीं है।

4— यह है कि जिमन नं0 04 इतना स्वीकार है कि ख0नं0 306 में हम प्रतिवादी सं0 01 लगा0 03 का 1/4 भाग कब्जेकाश्त का है, बाकि जिमन गलत है।

5— यह है कि जिमन नं0 05 नितान्त गलत है, स्वीकार नहीं है। दावा प्राईमाफेसा नहीं बनता है। ख0नं0 307 के खातेदारों को दावा में पक्षकार नहीं बनाया है। मिन अप्रार्थीद्वारा ख0नं0 306 का 1/4 भाग खरीद शुदा है। विक्रेता के कब्जे के स्थान पर जवाब दाता काबिज काश्त है। जवाब दाता का सिवाचक भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। मौके पर आराजी का बहामी बंटवारा हो रखा है। जवाब दाता ने वादी के हिस्से पर कब्जा नहीं किया है। बंटवारें के दावे में कब्जा नहीं छुड़ा सकता। ख0नं0 307 से जवाब दाता का कोई लेना देना नहीं है।

6— यह है कि जिमन नं0 06 इतना स्वीकार है कि आराजी ख0नं0 307 से मिन प्रतिवादी सं0 01 लगा0 03 का कोई लेना देना नहीं है, बाकि जिमन गलत है, स्वीकार नहीं है।

7— यह है कि जिमन नं0 07 नितान्त गलत है, स्वीकार नहीं है।

8— यह है कि जिमन नं0 08 गलत है, स्वीकार नहीं है।

9— यह है कि जिमन नं0 09 गलत है, स्वीकार नहीं है।

16.12.2016
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

दावाः— धारा 53, 188

Scanned with OKEN Scanner

10–यह है कि जिमन नं0 10 बाबत क्षेत्राधिकार है, जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है।
11–यह है कि जिमन नं0 11 बाबत कोर्ट फीस है, जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है।
12–यह है कि जिमन नं0 12 व सब क्लॉज अ, ब, स बाबत प्रार्थना है, जो गलत है, स्वीकार नहीं है।
अतः जवाब दावा पेशकर निवेदन है कि वादी का वाद मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जावे।

(3). वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 पेश किए गए।

(4). बहस सुनी गई।

(5). पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। ख0नं0 306 बाबत दावा खाता विभाजन का है। खाता विभाजन खातेदार का काश्तकारी अधिकार है। ख0नं0 307 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है। ख0नं0 307 व 306 अलग–अलग खाते में है। प्रतिवादी सं0 01 लगा0 03 ख0नं0 307 में खातेदार नहीं है। प्रतिवादी की आपत्ति निराधार है। अतः न्यायालय दावा बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

## –::आदेश::–

न्यायालय दावा बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम भोजपुरी तहसील मुण्डावर स्थित भूमि खसरा नम्बर 306 रकबा 1.01 है0 में वादी का खाता विभाजन कर लगान अलहेदा कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार मुण्डावर को आदेशित किया जाता है कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तो सम्बंधी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 को दृष्टिगत् रखते हुऐ विभाजन प्रस्ताव तैयार कर आगामी तारीख पेशी **06.01.2017** से पूर्व इस न्यायालय में भिजवाये। ख0नं0 306 व 307 बाबत असल प्रतिवादीगण को सदैव के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी को मिलने वाले खसरे/रकबे/कब्जे काश्त/हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजाहमत नहीं करे, सीमा/डोल को मिसमार किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार को मिलने वाले हिस्से/रकबे/खसरा नम्बर के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उक्तानुसार प्राथमिक पर्चा डिक्री जारी हो।

(सोहनराम चौधरी) 16/12/16
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर

उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

यह निर्णय आज दिनांक **16.12.2016** को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सोहनराम चौधरी) 16/12/16
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर

उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned with OKEN Scanner